Case Summary:

परिवादी मो. इलियास ने एक F.I.R. दिनांक 25–5–2001 को पुलिस थाना मोती डूंगरी पर दर्ज करवाई थी जिस पर बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 336,337,338 I.P.C. में 30–11–2001 को गवाहों एवं सबूतों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया, तत्पश्चात दौराने विचारण PW-1 से PW-10 गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जिनमें पीड़िता रेशमा के बयान में स्वयं चश्मदीद गवाह होने के कारण अपने व अपने गर्भस्थ शिशु के साथ डॉ. कँवरदीप रन्धावा ने जानबूझकर मेडिकल प्रक्रिया का उल्लंघन कर घोर लापरवाही करते हुए जो डिलीवरी करवाई है उसमें डॉ. कँवरदीप रन्धावा ने उसके गर्भस्थ शिशु को जबरन कठोर–धातु से बने चिमटेनुमा फोरसेप्स उपकरण का प्रयोग करके शिशु के नाजुक सिर को अत्यधिक दबाते हुए उतावलेपन में तेजी के साथ गर्भ से बाहर खींचकर डिलेवर करवाया जिससे नवजात शिशु के सिर में गम्भीर चोटें (ब्रेन हेमरेज) कारित कर दिया, जिनके कारण शिशु का परमानेन्ट ब्रेन डेमेज हो गया और शिशु का शरीर लकवाग्रस्त होकर जानलेवा बीमारी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हो गया। ऐसी अवस्था में ही रेशमा के इकलौते पुत्र की दीर्घकालीन इलाज के दौरान 6–5–2013 को मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रसव के दौरान औजारों के घातक प्रयोग से रेशमा की बच्चेदानी में भी डॉ. कँवरदीप रन्धावा ने गम्भीर चोटें पहुंचाकर रेशमा के गर्भाशय को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर प्रसव के तुरन्त बाद अनियन्त्रित रक्तस्राव पी.पी.एच. कारित करके उसके शरीर से बच्चेदानी को निकालकर केवल 23 वर्ष की आयु में उसे आजीवन मातृत्व से वंचित कर दिया। डॉ. कँवरदीप रन्धावा के उक्त कृत्य को मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ने भी गम्भीर चिकित्सकीय लापरवाही माना है।

ACT

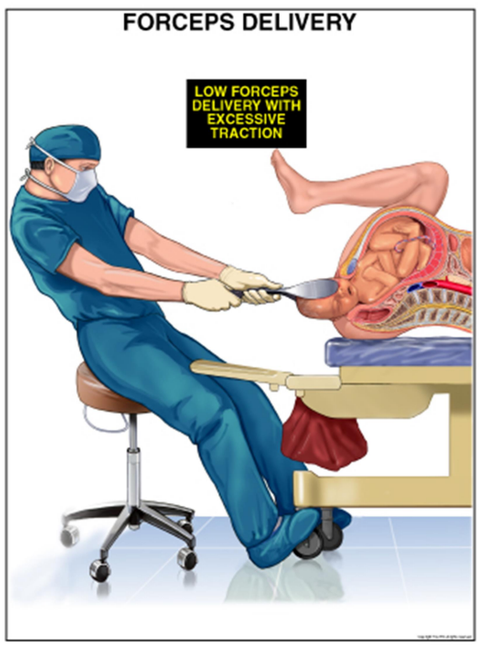

Image source: Medical educational picture downloaded from google

RESULT

Real Picture of Reshma's victimized son showing sufferings of permanent brain damage, severe disabilities caused by fatal brain-injury.